राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1	2	3	5
1.	3347/2022 प्रेमचन्द गुर्जर	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	श्री सी.पी. शर्मा
2.	3348/2022 शिवपाल सैनी		
3.	3349/2022 गंगाराम मीणा		
4.	3059/2023 मोहन लाल शर्मा		
5.	3101/2023 छीत्तरमल सैनी		
6.	1384/2023 रतन लाल सैनी		
7.	2536/2023 श्रीमती उमा महर्षि		
8.	1502/2023 ओम प्रकाश गुप्ता		
9.	4908/2022 फूल चन्द बुनकर		
10.	763/2023 कन्हैया लाल सैन		
11.	1501/2023 सत्यनारायण शर्मा		
12.	2535/2023 बाबू लाल शर्मा		
13.	6441/2022 श्रीमती प्रकाशवती		
14.	1559/2023 भगवती देवी		
15.	6440/2022 सुलोचना देवी जैन		
16.	293/2023 श्रीमती सावित्री देवी		
17.	6442/2022 श्रीमती सुशीला सैनी		

आदेश की दिनांक : 06.12.2023

उपस्थित –

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विमल कुमार सारस्वत, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका के शीर्षक में वर्णित 17 समस्त अपीलें एक ही प्रकृति की हैं। इन अपीलों में समान बिन्दु अन्तर्वलित होने के कारण न्यायहित में उक्त समस्त अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाकर समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निर्णीत किया जा रहा है।
2. उपरोक्त अपीलों में से अपील संख्या 2536/2023, 6440/2022, 6441/2022, 6442/2022, 1559/2023, व 293/2023 में राजकर्मियों की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. इस निर्णय में हम अपील संख्या 3347/2022 (श्री प्रेमचन्द गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) को अग्रग (leading) अपील मानते हुए उक्त अपील के अभिवचनों में अन्तर्वलित बिन्दुओं का विश्लेषण करने के उद्देश्य से उल्लेख किया जा रहा है।

4. अपीलार्थी प्रेमचन्द गुर्जर ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति हैल्पर ग्रेड–द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 31.12.1978 के द्वारा नियमित रूप से हुई थी। अपीलार्थी को पम्प चालक तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 08.01.1991 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी। राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 25.01.1992 जारी कर राजकर्मी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व मंत्रालयिक कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.07.1998 के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1997 से दिया गया एवं अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 4000–6000 में रखा गया। अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्यर्थी विभाग ने तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 03.06.2006 के द्वारा दिया गया, जो लाभ अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से प्रदान किया गया एवं अपीलार्थी को पुनः 4000–6000 की वेतन श्रृंखला प्रदान की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से आगामी वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी को गलत रूप से उसी वेतन श्रृंखला अर्थात 4000–6000 में उसका वेतनमान स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी ने इस अपील में आगामी वेतन श्रृंखला दिये जाने की मांग की है। इसी प्रकार की प्रार्थना उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में की गयी है कि आगामी चयनित वेतनमान का लाभ अगली वेतन श्रृंखला में दिया जाए।

5. उपर्युक्त 17 अपीलों में अपीलार्थीगण के द्वारा वांछित अनुतोष का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	धारित पद	चाहा गया अनुतोष	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	3347/2022 प्रेमचन्द गुर्जर	पम्प चालक–II	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त
2.	3348/2022 शिवपाल सैनी	पम्प चालक–II	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.06.2008 को सेवानिवृत्त
3.	3349/2022 गंगाराम मीणा	पम्प चालक–I	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 31.10.2016 को सेवानिवृत्त

4.	3059/2023 मोहन लाल शर्मा	पम्प चालक–II	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.04.2012 को सेवानिवृत्त
5.	3101/2023 छीत्तरमल सैनी	फीटर–I	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त
6.	1384/2023 रतन लाल सैनी	पम्प चालक–II	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त
7.	2536/2023 श्रीमती उमा महर्षि	हैल्पर–II	27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।
8.	1502/2023 ओमप्रकाश गुप्ता	पम्प चालक–I	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 31.05.2010 को सेवानिवृत्त
9.	4908/2022 फूलचन्द बुनकर	पम्प चालक–I	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 31.03.2012 को सेवानिवृत्त
10.	763/2023 कन्हैया लाल सैन	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.11.2015 को सेवानिवृत्त
11.	1501/2023 सत्यनारायण शर्मा	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 31.05.2011 को सेवानिवृत्त
12.	2535/2023 बाबूलाल शर्मा	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत्त
13.	6441/2022 श्रीमती प्रकाशवती	पम्प चालक–I	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।
14.	1559/2023 भगवती देवी	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5000–8000 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।
15.	6440/2022 श्रीमती सुलोचना देवी	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।
16.	293/2023 सावित्री देवी	पम्प चालक–II	18 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।
17.	6442/2022 श्रीमती सुशीला सैनी	फोरमैन–II	9 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 1400–2600 में दिया जाना चाहिए।	अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर विधिक वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से अपील संख्या 3347/2022 में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि अपीलार्थी को उपशासन सचिव (वित्त) विभाग के आदेश क्रंमाक एफ(20) दिनांक 25.02.1992 एवम अधीक्षण अभियन्ता जन.स्वा.अभि. विभाग वृत सीकर के आदेश क्रंमाक 6886–88 दिनांक 13.07.1998 के अन्तर्गत दिए गये निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी श्री प्रेमचंद गुर्जर (पम्पचालक–II) का 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला (4000–100–6000) मे मूल वेतन 4000 दिनांक 01.01.1997 को निर्धारित

किया गया है। अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश कंमाक प 20 (1) वित्त 2 ग्रुप–2/92 दिनाक 25.01.1992 प16(2) वित नियम 98 दिनाक 17.02. 1998 एवं प.गुर्जर(पम्पचालक–II) को 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत सीकर के आदेश कमांक 3421–23 दिनांक 03.06.2006 के द्वारा वेतन श्रृंखला (4000–100–6000) में वेतन रुपए 5100 पर दिनांक 01.01.2006 पर निर्धारण किया गया। अपीलार्थी श्री प्रेमचन्द गुर्जर सेवानिवृत (पम्पचालक–II) के पद से दिनाक 31.07.2016 को अधिवार्षिकी आयु पुर्ण होने पर सेवानिवृत हो चुके है। अपीलार्थी के द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

7. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से यह आपत्ति भी की है कि मूल राजकर्मियों के सेवानिवृत्त हुये काफी अधिक समय हो गया है और उन्होंने अत्यधिक देरी से अपील प्रस्तुत की है। ऐसे में अपीलार्थीगण की अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज की जाये।

8. सर्वप्रथम हमनें प्रत्यर्थी विभाग की इस आपत्ति पर विचार किया कि अपीलार्थी की अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज की जाये या नहीं। हम प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये इस तर्क से सहमत नहीं है कि अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर खारिज की जाए, क्योंकि चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में अपीलार्थी को निरन्तर वाद कारण उत्पन्न होता है, अतः यह अपील मियाद बाहर नहीं कही जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1996 एस.सी. 669** के निर्णय में यह माना है कि सही वेतन निर्धारण की मांग के लिए निरन्तर वाद कारण पैदा होता है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3945/2004 (डब्ल्यू.एल.सी. राज. 397) में यह निर्णय दिया है कि चयनित वेतनमान के दावे का वाद हेतुक निरन्तर रहता है। अतः हमारे मत में प्रत्यर्थीगण की इस दलील में कोई सार नहीं है कि यह अपील मियाद बाहर है।

9. हमनें समस्त अपीलों के सम्बन्ध में गुणावगुण पर विचार किया। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने हमारे समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ के द्वारा याचिका संख्या

3631/2008 सोहनलाल माथुर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 17.11.2008 को पारित निर्णय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एकल पीठ के द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3832/2012 श्याम सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 25.09.2012 को दिये गये निर्णयों को प्रस्तुत किया है। उन निर्णयों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया हैं कि यदि निचले पद एवं पदोन्नति पद की वेतन श्रृंखला एक समान है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 एवं दिनांक 17.02.1998 के क्लॉज–5 के अधीन बतायी गई अगली वेतन श्रृंखला चयनित वेतनमान के रूप में स्वीकृत की जानी चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 5505/2015 (अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर क्षेत्र, जयपुर एवं अन्य बनाम छीतरमल मीणा) एवं 30 अन्य याचिकाओं में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"It is common knowledge that the scheme/policy for grant of selection scales to the employees of the State Government and its instrumentalities, was introduced with a view to removing stagnation faced by members of the ministerial/subordinate services due to non-grant of timely promotion and if the Government, while granting selection scale, does not grant higher emoluments, then prescription of selection grade, as rightly held by this court in Sharvan Kumar, supra, shall be of no consequence. Prescription of same pay scale on grant of selection grade as that of next selection grade, as that of the lower grade, would be illusory benefit, being contrary to the spirit of the scheme."*
>
> *" This court in Sharvan Kumar and Sohanlal Mathur, supra, has decided this question in the terms that if the Government do not grant higher emoluments then prescription of selection grade shall be of no consequence. Prescription of same pay scale on completion of 18 years of service as a matter of fact is an illusory benefit and that is not at all grant of selection grade with the spirit of the Circulars/Notifications dated 25.01.1992 and 17.02.1998. This purposive interpretation of para 4 and 5 of the said Circulars has been approved not only by the Division Bench but also by the Supreme Court. This does not involve any question of law and therefore the contention that judgment in Sohanlal Mathur, supra, has not been decided on correct perspective and the matter should be reopened all over again to be decided afresh, cannot be accepted. This court is informed of the fact that the department has made compliance of similar judgments in the case of several employees and therefore, cannot seek to create two classes of employees of the very same Department of the State, who are otherwise similarly situate."*

10. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी पूर्व में जो वेतन श्रृंखला प्राप्त कर रहा था तो चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर अपीलार्थी आगामी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होता है।

11. राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 और 2008 के अनुसार अपीलार्थीगण के संशोधित वेतनमानों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष 1998 से पूर्व	राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998	राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008
1.	950–1680	3050–4590	5200–20200 ग्रेड पे 1900
2.	1200–2050	4000–6000	5200–20200 ग्रेड पे 2400
3.	1320–2300	4500–7000	5200–20200 ग्रेड पे 2800
4.	1400–2600	5000–8000	9300–34800 ग्रेड पे 3200
5.	1640–2900	5500–9000	9300–34800 ग्रेड पे 3600
6.	2000–3200	6500–10500	9300–34800 ग्रेड पे 4200

12. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.1992 के बिन्दु संख्या 4(ii), (iii) एवं बिन्दु संख्या 5 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

"4.(ii) The Second Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

(iii) The third Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

5. In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the Selection Grades shall be as specified below :-

S. No.	***Existing Pay Scale***	***Selection Grade***
1	***2***	***3***
1.	*750-940 (1)*	*775-1025 (2)*
2.	*775-1025 (2)*	*800-1250 (3)*
3.	*800-1250 (3)*	*825-1350 (4)*
4.	*825-1350 (4)*	*950-1680 (6)*
5.	*910-1520 (5)*	*975-1720 (7)*
6.	*950-1680 (6)*	*1200-2050 (9)*
7.	*975-1720 (7)*	*1200-2050 (9)*
8.	*1025-1800 (8)*	*1400-2300 (10)*
9.	*1200-2050 (9)*	*1400-2600 (12)*
10.	*1400-2300 (10)*	*(i) in those cases where next promotion post is in a State service-2000-3200 (14)* *(ii) in other cases-1640-2900 (13)*
11.	*1400-2360 (11)*	
12.	*1400-2600 (12)*	
1	***2***	***3***
13.	*1640-2900 (13)*	*2000-3200 (14)*
14.	*2000-3200 (14)*	*2000-3500 (15)*
15.	*2000-3500 (15)*	*2200-4000 (16)"*

13. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.16(2)एफ.डी(रूल्स)/88 दिनांक 17.02.1998 के बिन्दु संख्या 4(i), (iii) एवं बिन्दु संख्या 5 के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

"4.(ii) The Second Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 8000-13050 (13) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

(iii) The third Selection Grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre ; provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 8000-13500 (13) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.

5. In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess

academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the Selection Grades shall be as specified below :-

S. No.	***Existing Pay Scale***	***Selection Grade***
1	***2***	***3***
1.	*2550-3200 (1)*	*2610-3540 (2)*
2.	*2610-3540 (2)*	*2650-4000 (3)*
1	***2***	***3***
3.	*2650-4000 (3)*	*2750-4400 (4)*
4.	*2750-4400 (4)*	*3050-4590 (6)*
5.	*2950-4475 (5)*	*3200-4900 (7)*
6.	*3050-4590 (6)*	*4000-6000 (9)*
7.	*3200-4900 (7)*	*4000-6000 (9)*
8.	*3400-5200 (8)*	*5000-8000 (10)*
9.	*4000-6000 (9)*	*5000-8000 (10)*
10.	*5000-8000 10)*	*(i)6500-10500 (12) in those cases where next promotion post is in a State Service.* *(ii) 5500-9000 (11) in other cases.*
11.	*5500-9000 (11)*	*6500-10500 (12)*
12.	*6500-10050 (12)*	*8000-13500 (13)"*

14. उपरोक्त अपीलों में कुछ प्रकरणों में 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सही प्रकार से चयनित वेतनमान का लाभ, कुछ प्रकरणों में 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सही प्रकार से चयनित वेतनमान का लाभ और एक प्रकरण में 9 वर्ष की सेवा पर सही प्रकार से चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

15. हमारे मत में जो चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर उसी वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण नहीं करके आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान में वेतन का स्थिरीकरण दिया जाना चाहिए था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 3631/2008 सोहन लाल माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.11.2008 में यह मत व्यक्त किया है कि जहां पर पदोन्नति पद का वेतनमान उसी वेतन श्रृंखला में है तो भी चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान निर्धारण किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> "In the instant matter too the petitioner is holding the post of Fitter Gr.I and the pay scale of Foreman Gr.II is given to him. The pay scale applicable for the post of Fitter Gr.I and Foreman Gr.II is same. As per para 5 of the Government of Rajasthan's notifications

dated 25.1.1992 and 17.2.1998, in such eventuality the employee is required to receive the next higher pay scale as prescribed in para 5 of the notifications aforesaid. The petitioner as per para 5 of the notification dated 25.1.1992 was entitled to receive second selection grade i.e. of Rs.1400-2600 instead of Rs.1200-2050. After revision of the pay scale the petitioner become entitled to get his pay fixed in the pay scale of Rs.5000-8000 instead of Rs.4000-6000. As a consequent to the fixation of the selection grades as above, the petitioner also become entitled for fixation in the pay scale of Rs. 5500-9000 instead of Rs.5000-8000 on getting third selection grade i.e. on completion of 27 years of service."

16. अतः हम अपीलार्थीगण की ओर से दिये गये तर्को से सहमत है कि अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान के रूप में आगामी वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान स्वीकार करते समय उनको आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान दिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों को वापस लिया जाकर इस निर्णय के अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाए। प्रत्येक प्रकरण की स्थिति के अनुसार राजकीय कर्मचारियों को वेतनमान मय उपरोक्त पे–बैण्ड का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी जो कि सेवानिवृत्त हो गया है, उनकों संशोधित जीपीओ, पीपीओ एवं सीपीओ जारी किया जाए और सभी अपीलार्थीगण को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार ने किसी वेतनमान की ग्रेड–पे में कोई बढ़ोतरी की है तो उसका लाभ भी प्रत्येक अपीलार्थीगण को दिया जावे। आदेश की पालना 3 माह की अवधि में की जावे।

17. मूल आदेश अपील संख्या 3347/2022 प्रेमचन्द गुर्जर में रखा जाकर उपरोक्त तालिका में वर्णित शेष 16 अपीलों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)